

[2023] 1 एस. सी. आर 289 ए

ए.

तालत सानवी बनाम.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 205) 24
जनवरी, 2023

बी.

[संजय किशन कौल और अभय एस. ओका, जेजे।]

पीड़ितों को मुआवजा:अग्रिम जमानत के लिए कार्यवाही में अंतरिम पीड़ित मुआवजे को उसी के लिए एक शर्त के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है-अंतरिम पीड़ित मुआवजे का सवाल जमानत न्यायशास्त्र का हिस्सा नहीं हो सकता है-जमानत-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस. 357.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **357** में मुआवजे का भुगतान करने का आदेश तब दिया जाता है जब कोई अदालत जुर्माने या सजा (मौत की सजा सहित) की सजा देती है, जिसमें जुर्माना उसमें उल्लिखित परिस्थितियों का हिस्सा होता है।उप-धारा **(2)** एक सीमा अधिरोपित करती है कि जब किसी ऐसे मामले में जुर्माना लगाया जाता है जो अपील के अधीन है तो ऐसा कोई भुगतान अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले नहीं किया जाएगा। उप-धारा **(3)** के तहत, यह उस व्यक्ति के लिए मुआवजे के रूप में है जिसे उस कार्य के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति को इस तरह से सजा सुनाई गई है।उप-धारा **(4)** अपीलिय न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अपनी संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते समय मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का भी प्रावधान करती है।[पैरा **9**] **[291-ई-जी]**

डी.

ई.

एफ.

2. पीड़ित मुआवजा कथित अपराध के संबंध में लिए गए अंतिम दृष्टिकोण के साथ-साथ होता है, अर्थात्, क्या यह इस तरह से किया गया था या नहीं और इस प्रकार, मामले के

पूर्व-परीक्षण की किसी भी पूर्व-अंतिमता को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।[पैरा **10**] [291-जी-एच]

जी.

साहब आलम @गुड्डू बनाम झारखंड राज्य और अन्न।

2022 की आपराधिक अपील संख्या **1318**, दिनांक **24.08.2022**;

ऊधो ठाकुर और अन्न। ईटीसी. वी.झारखंड राज्य

& एन. आर. 2022 की आपराधिक अपील Nos.1703-1704 दिनांकित

29.09.2022; धर्मेश बनाम गुजरात राज्य **(2021) 7 एससीसी**

198 - पर भरोसा किया।

एच.

289

290 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

केस लॉ रेफरेन्स **(2021) 7 एससीसी 198** पर भरोसा किया गया

पैरा **11**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:आपराधिक अपील सं। 2023 का 205।

2020 के ए. बी. ए. No.6003 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

बी.

गणेश खन्ना, गौरव कुमार, अरमोघन मुमताज, हिमांशु भूषण, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विष्णु शर्मा, सुश्री मधुष्मिता बोरा, दीपांकर सिंह, श्रीमती अनुपमा शर्मा, रिजू राज सिंह जामवाल, बीर इंदर सिंह गुरम, मनीष कुमार, सुश्री अनुम हुसैन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

अनुमति दी गई

डी.

1. इस अपील में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या अग्रिम जमानत की कार्यवाही में अंतरिम पीड़ित मुआवजे को उसी के लिए एक शर्त के रूप में लगाया जा सकता है।

2. हमारा मानना है कि विवादित आदेश कानून के उल्लंघन से ग्रस्त है क्योंकि अंतरिम पीड़ित मुआवजे का सवाल जमानत न्यायशास्त्र का हिस्सा नहीं हो सकता है।

ई.

3. यह मुद्दा पहले से ही घोषणाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है

यह न्यायालय साहब आलम @गुड्डू बनाम राज्य के मामले में अन्य बातों के साथ

झारखंड और अन्न.-आपराधिक अपील No.1318/2022, दिनांक 24.08.2022

एफ.

और ऊधो ठाकुर और अन्न। ईटीसी. वी.झारखंड राज्य और अन्न।

- 2022 की आपराधिक अपील Nos.1703-1704 दिनांक 29.09.2022। 4. साहब आलम मामले (उपरोक्त) में हमने अपराधों की प्रकृति के आधार पर जमानत की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना पर्याप्त राशि जमा करने की शर्त पर जमानत देने वाले विभिन्न मामलों में विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों पर विचार किया था और इस प्रकार, यह देखा गया था कि जमानत स्वयं नहीं दी जा सकती है यदि कोई व्यक्ति धन जमा करने का सामर्थ्य रखता है या उसके पास भुगतान करने की क्षमता है।

जी.

5. सभी विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और मामले को वापस भेज दिया गया।

एच.

291

तालत सानवी बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ए.

6. ऊधो ठाकुर (ऊपर) में "पीड़ित मुआवजा" अभिव्यक्ति के उपयोग के पहलू को अनुचित पाया गया क्योंकि गिरफ्तारी से पहले जमानत की कार्यवाही धन वसूली की कार्यवाही नहीं है।

7. इस मामले में मामला एक कदम आगे है क्योंकि यह अग्रिम जमानत देने की शर्त के रूप में धन का भुगतान/धन जमा करना नहीं है, बल्कि अग्रिम जमानत के लिए कार्यवाही में अंतरिम पीड़ित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश है।

बी.

8. पीड़ित मुआवजे के पहलू पर पीछे मुड़कर देखने पर हम ध्यान दे सकते हैं कि 1960 के दशक में 'पीड़ित विज्ञान' आंदोलन ने मौद्रिक मुआवजे के लिए रास्ता बनाया और इस तरह के मुआवजे को आपराधिक अभियोजन की खोज में पीड़ितों के सहयोग से जोड़कर सरकारों को प्रोत्साहन दिया। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कई राज्यों ने पीड़ितों को मुआवजा देना शुरू किया और इस तरह आपराधिक अभियोजन में भागीदारी को प्रोत्साहित किया। 80 के दशक की शुरुआत में पीड़ितों और पीड़ित न्याय के अग्रदूतों ने अपराध के पीड़ितों की ओर से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की प्रमुख पहल की। पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों और शक्ति के दुरुपयोग पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को 1985 में महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था (ग्रोएनहुइज़सेन, 2014)। घोषणा ने मुआवजे के अधिकार सहित अपराध के पीड़ितों के विशिष्ट अधिकारों और अधिकारों के लिए रास्ता बनाया।

सी.

डी.

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में मुआवजे का भुगतान करने के आदेश का प्रावधान है जब कोई अदालत जुर्माने या सजा (मौत की सजा सहित) की सजा देती है, जिसका जुर्माना उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में एक हिस्सा है। उप-धारा (2) एक सीमा अधिरोपित करती है कि जब किसी ऐसे मामले में जुर्माना लगाया जाता है जो अपील के अधीन है तो ऐसा कोई भुगतान अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले नहीं किया जाएगा। उप-धारा (3) के तहत यह उस व्यक्ति के लिए मुआवजे के रूप में है जिसे उस कार्य के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति को इस तरह से सजा सुनाई गई है। उप-धारा (4) अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अपनी संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते समय मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का भी प्रावधान करती है। 10. हमने यह इस बात की सहायता करने के लिए निर्धारित किया है कि पीड़ित मुआवजा कथित अपराध के संबंध में लिए गए अंतिम दृष्टिकोण के साथ-साथ है, अर्थात्, क्या यह इस तरह से किया गया था या नहीं और इस प्रकार, मामले की पूर्व-अंतिमता को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

292

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

11. धर्मेश बनाम गुजरात राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में यह राय दी गई थी कि धारा 357 के स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट था कि ऐसा मुआवजा मुकदमे के समापन के बाद ही उत्पन्न हो सकता है, हालांकि, निश्चित रूप से, यह विवेकाधिकार का मामला है। जमानत की शर्त के रूप में मृतक (पीड़ित) के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए मुआवजे को जमा करने के लिए अभियुक्त को उच्च न्यायालय के निर्देश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार, तार्किक रूप से अलग रखा जा सकता है।

बी.

12. अदालत ने राय दी कि उद्देश्य स्पष्ट है कि शरीर के खिलाफ अपराधों के मामलों में, पीड़ित को मुआवजा मोचन के लिए कार्यप्रणाली होनी चाहिए। इसी तरह, अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए, जहां अर्थहीन आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, वहां मुआवजे का प्रावधान किया गया है। जमानत देने के चरण में इस तरह के मुआवजे का निर्धारण शायद ही किया जा सकता है।

सी.

13. इस तरह के न्यायिक दुस्साहस की सराहना नहीं करते हुए, हमें अग्रिम जमानत देने के अन्य पहलुओं को बनाए रखते हुए इस संबंध में विवादित आदेश में लगाई गई शर्त को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है।

डी.

14. अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

1 (2021) 7 एससीसी 198

एच.